रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 225] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 13, 1975/कार्तिक 22, 1897
No. 225] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 13, 1975/KARTIKA 22, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 13th November 1975

SUBJECT.—*Exports to Sudan under Indo-Sudan Trade Arrangement,* 1975-76.

No. 49-ETC(PN)/75.—It is notified for the information of all exporters that the Indo-Sudan Trade Arrangement for the period 1-11-75 to 31-12-75 has been concluded.

2. Attention of all exporters is invited to Public Notices No. 18-ETC(PN)/72, dated 8th September, 1972, No. 7-ETC(PN)/73, dated 13th March, 1973 and No. 38-ETC(PN)/73, dated 24th November, 1973 wherein procedure for centralised registration of contracts in respect of exports to Sudan under Indo-Sudan Trade Arrangements has been laid down. The same system of centralised registration of contracts with the State Bank of India, Bombay would be continued for exports to Sudan under Indo-Sudan Trade Arrangement 1975-76 The procedure to be followed is detailed below:—

(1) All contracts for exports to Sudan under the Indo-Sudan Trade Arrangement 1975-76 should be registered with the State Bank of India, Bombay on payment of service charges fixed by the bank from time to time Intending exporters can have their documents forwarded to the State Bank of India, Bombay through any branch of any bank in India.

On registration, the State Bank of India, Bombay will issue to the exporter a certificate which will entitle the latter to effect shipments to Sudan under the Indo-Sudan Trade Arrangement. Without this certificate no shipments to Sudan will be allowed under this Trade Arrangement.

(2) Exports to Sudan under the above Trade Arrangement will be permitted only in respect of contracts registered with State Bank of India, Bombay specifically under this Trade Arrangement and registration which might have been granted under the earlier Indo-Sudan Trade Arrangements will not be valid for exports under the Trade Arrangement for the period 1-11-1975 to 31-12-1976.

(3) No contract for export to Sudan under the current Indo-Sudan Trade Arrangement will be registered by the State Bank of India, Bombay unless it is accompanied by a declaration from the exporter to the effect that the Sudanese importers possess valid import licences duly franked by the Bank of Sudan.

(4) The State Bank of India, Bombay, on their part will verify that the Sudanese importer is holding a valid import licence franked by the Bank of Sudan and only thereafter they will register the contracts.

(5) As and when shipments are effected to Sudan against the contracts registered with the State Bank of India, Bombay, the value of the shipment and the balance value of the contract should be intimated to the State Bank of India, Bombay quoting their registration number and the particulars of the Credit concerned.

(6) Since the present Indo-Sudan Trade Arrangement expires on 31st December, 1976, all shipments against contracts registered under this Trade Arrangement must be completed before 31st December, 1976. No shipments under this Trade Arrangement will be permitted, after this date.

(7) It may be noted that under the current Indo-Sudan Trade Arrangement, no contracts can be entered into for exports to Sudan on deferred payment basis.

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 1975

विषय.—भारत-सूडान व्यापार व्यवस्था, 1975–76 के अन्तर्गत सूडान को निर्यात।

सं० 49-ई०टी० सी० (पी०एन०)/75.—सभी निर्यातकों की सूचना के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि 1–11–1975 से 31–12–1976 तक की अवधि के लिए भारत–सूडान व्यापार व्यवस्था निर्णीत हो चुकी है।

सार्वजनिक सूचना संख्या 18-ईटीसी (पीएन)/72, दिनांक 8 सितम्बर, 1972, संख्या 7–ईटीसी (पीएन)/73, दिनांक 13 मार्च, 1973 और संख्या 38-ईटीसी (पीएन)/73, दिनांक 24 नवम्बर, 1973 की ओर सभी आयातकों का ध्यान दिलाया जाता है जिन में भारत–सूडान व्यापार व्यवस्था के अन्तर्गत सूडान को निर्यात के सम्बन्ध में संविदाओं के केन्द्रीयकृत पंजीकरण के लिए क्रियाविधि निर्धारित की गई है। संविदाओं के स्टेट बैंक आफ इंडिया, बम्बई, में केन्द्रीयकृत पंजीकरण की यही पद्धति भारत –सूडान व्यापार व्यवस्था, 1975–76 के अन्तर्गत सूडान को निर्यातों के लिए जारी रहेगी। अपनायी जाने वाली क्रियाविधि नीचे स्पष्ट की जाती है :—

(1) भारत सूडान व्यापार व्यवस्था 1975–76 के अन्तर्गत सूडान को निर्यातों के लिए सभी संविदाएं स्टेट बैंक आफ इंडिया, बम्बई में समय समय पर बैंक द्वारा नियत सेवा खर्चों को चुकाने के बाद पंजीकृत करानी चाहिएं। इच्छुक निर्यातक अपने दस्तावेज भारत में किसी भी बैंक की किसी भी शाखा के माध्यम से स्टेट बैंक आफ इंडिया, बम्बई को भेज सकते है।

पंजीकरण करने के बाद, स्टेट बैंक आफ इंडिया, बम्बई निर्यातक को एक प्रमाण–पत्र जारी करेगा जो निर्यातक को भारत-सूडान व्यापार व्यवस्था के अन्तर्गत सूडान को पोतलदान करने के लिये पात्र बनाएगा। इस प्रमाण पत्र के बिना इस व्यापार व्यवस्था के अन्तर्गत सूडान के लिए किसी भी पोतलदान की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(2) उपर्युक्त व्यापार व्यवस्था के अन्तर्गत सूडान को निर्यातों की अनुमति विशेषतया इस व्यापार व्यवस्था के अन्तर्गत केवल स्टेट बैंक आफ इंडिया, बम्बई में पंजीकृत संविदाओं के सम्बन्ध में दी जाएगी और पिछली भारत-सूडान व्यापार व्यवस्थाओं के अन्तर्गत प्रदान किए गए पंजीकरण 1–11–1975 से 31–12–1976 तक की अवधि के लिए व्यापार व्यवस्था के अन्तर्गत निर्यातों के लिए वैध नहीं होंगे।

(3) वर्तमान भारत सूडान व्यापार व्यवस्था के अन्तर्गत सूडान को निर्यात के लिए कोई भी संविदा स्टट बैंक आफ इंडिया, बम्बई, द्वारा तब तक पंजीकृत नहीं की जाएगी जब तक कि निर्यातक इस संविदा के साथ सूडान के बैंक द्वारा विधिवत् अंकित इस सम्बन्ध में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं करता है कि सूडान के आयातकों के पास वैध आयात लाइसेंस है।

(4) स्टट बैंक आफ इंडिया, बम्बई अपनी ओर से यह सत्यापन करेगा कि सूडानी आयातक के पास सूडान के बक द्वारा अंकित वैध आयात लाइसेंस है और वे केवल इसके बाद ही संविदाएं पंजीकृत करेंगे।

(5) स्टट बैंक आफ इंडिया, बम्बई में पंजीकृत संविदाओं के प्रति जब और जैसे ही सूडान को पोतलदान किए जाएं, पोतलदान के मूल्य और संविदा के बाकी मूल्य की सूचना अपनी पंजीकरण संख्या और सम्बद्ध क्रेडिट के ब्यौरे को उद्धृत करते हुए स्टट बैंक आफ इंडिया, बम्बई को देनी चाहिए।

(6) चूंकि वर्तमान भारत सूडान व्यापार व्यवस्था 31 दिसम्बर, 1976 को समाप्त हो जाएगी, इसलिए इस व्यापार व्यवस्था के अन्तर्गत पंजीकृत संविदाओं के प्रति सभी पोतलदान 31 दिसम्बर, 1976 से पहले अवश्य पूर्ण कर लेने चाहिए। इस तिथि के बाद इस व्यापार व्यवस्था के अन्तर्गत किसी भी पोतलदान की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(7) यह नोट कर लिया जाए कि वर्तमान भारत-सूडान व्यापार व्यवस्था के अन्तर्गत आस्थगित भुगतान के आधार पर सूडान को निर्यातों के लिए कोई भी संविदा नहीं की जा सकती है।

ओ० डी० कुमार,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975